5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छतरपुर निग – 888 – I – 16

बिन्द्रावन पुंत्र श्री गजाधर साहू
निवासी – ग्राम धुवारा तहसील धुवारा जिला छतरपुर (म.प्र.)

...........आवेदक

विरूद्ध

1– बाबूलाल पुत्र श्री लख्मीचन्द्र उर्फ लक्ष्मीचन्द्र जैन
2– फूलचन्द्र पुत्र श्री बिन्द्रावन जैन
3– दीपचन्द्र पुत्र श्री बिन्द्रावन जैन
4– श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी गजाधर साहू
5– श्रीमती सीमा पत्नी बेनी प्रसाद साहू
निवासी– ग्राम धुवारा तहसील धुवारा जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 14.3.16 को प्रस्तुत

क्लर्क 14.3.16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 197/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बड़ामलहरा का आदेश दिनांक 30.09.2015 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, आवेदक द्वारा भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.03.2012 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तत्पश्चात् नामान्तरण पंजी क्रमांक 85 ग्राम धुवारा दिनांक 07.05.2012 से नामान्तरण आदेश पारित किया गया है। यह कार्यवाही विधिवत् एवं प्रक्रिया के होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

3– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा नामान्तरण पंजी के आदेश के विरूद्ध लम्बे समय पश्चात् अवधि वाहय अपील अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके संबंध में आवेदक की ओर से निवेदन किया गया था कि अनावेदकगण को आदेश की जानकारी विधिवत् रूप से थी। किन्तु

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-888-दो/2016 जिला छतरपुर बिन्द्रावन विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा के प्रकरण क्रमांक 197/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-09-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 01/3/19 सदस्य	